फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कस्तुरचन्द — **विपक्षी : अधिशाषी अधि.न.पा.**

किस्म मुकदमा — 188 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 190/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 30.12.2021	

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प मोरठ में पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वादी खातेदार काश्तकार होने से वादी को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। प्रतिवादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादी को वादी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 4135, 4136 किता 2 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:45:27 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री कस्तुरचन्द पिता नारायण भांभी निवासी सनवाड हाल ताणा तह. भूपालसागर।

..................वादी

बनाम

1. श्री अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका फतहनगर सनवाड तह. मावली।

.............प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 190/18 (वाद) GCMS No. – 2018/00071

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 4135, 4136 किता 2 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:45:27 IST
Reason: SelfAttested